

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

बनाम

मु. सं.

11.12.24

आज पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी उपाध्ये वकील पार्थी ने अपने आ. पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा का नोट प्रेस किया। अतः पार्थी का आ. पत्र नोट प्रेस में स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फौजल शुक्र एक्ट शामिल मूल वाद रहे।

Note Press
has

आदेश सुनाया गया

Mairi
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा